न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, पिडावा जिला झालावाड (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– दिनेश कुमार मीणा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 07/2023 दायर दिनांक: 07.01.2023

उनवान

1. मृतक – विष्णुलाल आ० कन्हैयालाल जाति दांगी नि. गुराडिया तहसील पिड़ावा

1/1 राधाबाई बैवा विष्णुलाल जाति दांगी नि. गुराड़िया तहसील पिड़ावा

1/2– ब्रजराज पिता विष्णुलाल नाबालिग जरिये वली माता राधाबाई जाति दांगी नि. गुराड़िया तहसील पिड़ावा

2. दुर्गालाल आ० कन्हैयालाल जाति दांगी जाति दांगी नि. गुराड़िया तहसील पिड़ावा

—प्रार्थीगण

बनाम

1. प्रभुलाल आ० भारमल जाति दांगी नि. गुराड़िया तहसील पिड़ावा

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 'क' आर0टी0एक्ट0

उपस्थिति विद्वान अभिभाशक :–

प्रार्थीगण – श्री ईश्वरसिंह, श्री विनोद शर्मा

अप्रार्थी सं. 1 – श्री विनोद जैन

निर्णय

दिनाक: 28.07.2025

पत्रावली पेश हुई। संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार से है कि यह कि ग्राम गुराड़िया प.ह. गुराडिया तहसील पिडावा की आराजी खसरा नंबर 912/42 रकबा 0.6323 है. खसरा नं रकबा 1.4670 है० प्राचीगण के नाम सहखातेदारी में दर्ज है। उनके कब्जे काश्त की आराजी है। नकल जमाबंदी खाता सम्वत् 2074–2077 पेश है। यह कि प्रार्थीगण [illegible] ख[illegible] न. 912/42 में 43 पर जाने आने का रास्ता ग्राम गुराडिया से [illegible] आम सड़क खसरा नं. 39 से अप्रार्थी के खसरा नं. 23 की [illegible] के सहारे होकर है प्रार्थीगण इसी रास्ते पर होकंर निकलते रहे है परन्तु अप्रार्थी अच निकंलने

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

से रोकता है और उसने रास्ता बंद कर दिया है। यह कि प्रार्थीगण की आराजी पर जाने आने का रेकार्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और मौके पर इसके अलावा कोई वैकल्पिक (Alternative) रास्ता नहीं है ना ही स्वीकृत रास्ता है। यह कि उक्त रास्ते के सम्बन्ध में प्रार्थी की आवश्यकता अत्यन्त आवश्यकता है। यह जोत के केवल सुविधाजनक उपयोग के लिए नहीं है। [The necessity is absolute necessity and is not for mere convenien enjoyment of Holding] अप्रार्थी के रास्ता रोकने से प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर जाने-आने की परेशानी खड़ी हो गयी है। यह कि प्रार्थीगण को अपनी आराजीयात पर जाने आने के लिए 12 फिट चौड़ाई में रास्ते की आवश्यकता है जिसका प्रार्थीगण अपने ट्रेक्टर, मशीन, कृषि सामानं इत्यादि जाने-ले जाने में उपयोग कर सके। यह कि प्रार्थीगण रास्ते की भूमि के बदले में प्रतिकर के रूप में मुआवजे के बदले निर्धारित (नियमानुसार) राशि भुगतान करने के लिए तत्पर है। यह कि प्रार्थीगण ने उक्त सम्बन्ध में हल्का पटवारी व कानूनगो से कहा तो उन्होंने माननीय न्यायालय में कार्यवाही करने की सलाह दी, इस कारण यह प्रार्थनापत्र पेश करना आवश्यक हुआ है। यह कि प्रार्थनापत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में प्रस्तुत है। अतः प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम गुराड़िया प.ह. गुराड़िया तहसील पिड़ावा की आराजी खसरा नंबर 912/42 रकबा 0.6323 है. व खसरा नं. 43 रकबा 1.4670 हे० पर जाने आने का रास्ता 12 फिट चौड़ाई का ग्राम गुराड़िया से सरोनिया आम सड़क खसरा नं. 30 से अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 23 की भूमि पर दक्षिणी मेढ़ के सहारे होकर स्वीकृत किया जाकर रास्ता भूमि राजस्व अभिलेख में रास्ता अभिलिखित किया जावें।

2. प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी जर्ये सम्मन की गई। अप्रार्थी सं. 1 की ओर से जवाब पेश कर निवेदन किया कि यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 आराजी होना स्वीकार है। लेकिन खसरा नम्बर की जानकारी नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. [illegible] स्वीकार नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. [illegible] है स्वीकार नहीं है अपितु प्रार्थीगण के पास अन्य [illegible] जो वर्तमान में तहसीलदार साहब पिड़ावा द्वारा भी प्रार्थीगण के आवेदन पर दिया है जो खुलासा है और इसी रास्ते से प्रार्थीगण आ-जा रहे है। यह कि प्रार्थना पत्र

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

(6)

की मद नं. 4 जिस प्रकार लिखी है गलत है, स्वीकार नहीं है। प्रार्थीगण के पास वर्तमान में सनातनी रास्ता मौजूद है तथा प्रार्थीगण इसी रास्ते से आ–जा रहे है। जिससे सुगम तरीके से प्रार्थीगण अपने खेत पर आ–जा रहे है और इसी रास्ते से जो तहसीलदार साहब पिडावा द्वारा बताया गया है से फसल की बुआई की है उक्त रास्ता लगभग 12 फुट चौड़ा है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 5 गलत है स्वीकार नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 6 गलत है स्वीकार नहीं है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 7 गलत है। यह कि प्रार्थना पत्र की मद नं. 8 कानूनी है। प्रार्थना पत्र के अन्त में चाही गई प्रार्थना अस्वीकार है। **विशेष कथनः–** यह कि प्रार्थीगण की आराजी पर आने–जाने का सनातनी रास्ता मौजूद है और इसी रास्ते को तहसीलदार साहब पिड़ावा द्वारा खुलासा कराया गया है और प्रार्थीगण सदेव से अपने सनातनी रास्ते से आ–जा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा अपने सनातनी रास्ते से ही वर्तमान में फसल बोई है जो लगभग 12 फुट चौड़ा है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी को नुकसान पंहुचाने के लिए यह आवेदन पेश किया है। यह कि जब प्रार्थीगण के पास रास्ता मौजूद है और यह उसी रास्ते से खेत में आ–जा रहे है इसलिए प्रार्थीगण को किसी प्रकार की परेशानी नहीं है। अपितु नया रास्ता दिया तो अप्रार्थी के खेत में कम से कम 4–5 फुट पानी भर जायेगा व फसल नष्ट हो जावेगी व अप्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ती किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी। अतः जवाब पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाने की कृपा करे।

3. प्रार्थीगण की ओर से ग्राम गुंराडिया का खाता सं. 223, 81, 132 की जमाबंदी सं. 2074–77 की नकल, खसरा नक्शा दिनांक 22.06.2022, खसरा नक्शा दिनांक 11.07.2025 पेश किया।

4. पैरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा से मौका रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार पिडावा द्वारा अपने पत्र [illegible] दिनांक 08.02.2023 एवं दिनांक 18.10.2024 मौका रिपोर्ट [illegible] अनुसार है– न्यायालय उपखण्ड अधिकारी महोदय [illegible] प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए आर.टी. एक्ट में मौका एवं राजस्व रिकार्ड की वस्तु स्थिति हेतु दिनांक 02.02.2023 को ग्राम गुराडिया प०म० गुराडिया की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

(7)

आराजी ख0न0 912/42 व 43 पर आने जाने के लिए मौका देखा गया। मौके पर खसरा नं० 23 की दक्षिणी मेड पर किसी प्रकार के रास्ते के निशानात मौजूद नहीं है। प्रार्थी विष्णुलाल, दुर्गालाल पि० कन्हैयालाल दांगी निवासी गुराडिया अपने खसरा न0 912/42 व 43 में आने जाने के लिए नवीन रास्ता चाहते है जिसकी चौ0 12 फीट एवं ल० 198 फीट है। खसरा न० 23 गुराडिया से घरोनिया सडक से लगा हुआ है। प्रार्थी के खेत तक पंहुचने का अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं है। अतः रिपोर्ट मय मौका नक्शा श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

5. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अभिभाषक प्रार्थीगण द्वारा बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं को दोहराया और निवेदन किया कि ग्राम गुराडिया तहसील पिडावा में स्थित प्रार्थीगण के खाते व कब्जे की आराजी ख.नं. 912/42 व 43 तक पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण अपने हिस्से तक पहूँचने के लिए गुराडिया से सरोनिया सडक ख.नं. 39 से होते हुए अप्रार्थी सं. 1 की सहमति से उनकी भूमि ख.नं. 23 की दक्षिणी मेड से होकर बने अस्थायी रास्ते का उपयोग करते आए है लेकिन कुछ समय पूर्व अप्रार्थी सं. 1 द्वारा ख.नं. 23 में बने प्रार्थीगण के उक्त अस्थायी रास्ते को बंद कर दिया गया है जिससे प्रार्थीगण का खेत पडत पडा हुआ है। स्वयं तहसीलदार ने अपनी मौका रिपोर्ट में, स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिससे प्रार्थीगण अपने खेत में फसल नहीं बो पा रही है और मजबूरन भूमि पडत पडी हुई है जिससे प्रार्थीगण के लिए भरण पोषण की दिक्कते उत्पन्न हो रही है। अतः रास्ता प्रार्थीगण की नितान्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण सुविधा के लिए रास्ता नहीं ले रहे है। अभिभाषक प्रार्थीगण ने आगे कथन किया कि प्रार्थीगण अप्रार्थीगण की निजी भूमि से दिए जाने वाले रास्ते की क्षतिपूर्ति राशि का भी नियम अनुसार भुगतान करने के लिए तत्तपर है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर [illegible] की आराजी तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 23 की दक्षिणी मेड के सहारे कृषि उपकरण लाने ले जाने हेतु 12 फीट चौडा नया रास्ता प्रदान किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

6. अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 द्वारा उक्त बहस का विरोध करते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 912/42 व 43 तक पहूँच हेतु अप्रार्थीगण के खाते व कब्जे की भूमि ख.नं. 23 में होकर पहूँच हेतु कोई रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण को अपनी आराजी पर पहूँच हेतु वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है जिसका खुलासा प्रार्थीगण के आवेदन पर तहसीलदार पिडावा द्वारा दो तीन बार कराया जा चुका है और प्रार्थीगण सदैव से इसका उपयोग करते आ रहे है। प्रार्थीगण अपने उक्त सनातनी वैकल्पिक रास्ते से ही आ जा रहे है। प्रार्थीगण द्वारा इसी रास्ते से होकर वर्तमान में फसल बोई है। प्रार्थीगण केवल अप्रार्थी कों नुकसान पहूचाने हेतु सुविधा के लिए नवीन रास्ते की मांग कर रहे। अप्रार्थी के खेत से नवीन रास्ता दिये जाने से अप्रार्थी के खेत में 4–5 फीट पानी भर जावेगा जिससे अप्रार्थी की फसल नष्ट हो जावेगी एवं अप्रार्थी को अपरिमित क्षति होगी। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे।

7. पेरोकार सरकार जरिये तहसीलदार पिडावा की बहस सुनी गई। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु राजस्व रिकॉर्ड में कोई रास्ता दर्ज नहीं है और कोई निश्चित रास्ता कायम नहीं होने से पूर्व में जमीन पडत पडी हुई थी। प्रार्थीगण की भूमि पर आवागमन हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने और आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं है।

8. अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी। बहस के प्रकाश में पत्रावली का अवलोकन किया गया। धारा 251 क आर.टी.एक्ट. के तहत नये रास्ता दिये जाने से पूर्व निम्न शर्तो के पालना जरूरी है:–

(i) **रिकार्डेड पहूँच मार्ग** –प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं. 1 एवं पेरोकार सरकार तीनो इस कथन पर सहमत है कि प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 912/42 व 43 तक पहूँच हेतु राजस्व रिकार्ड में कोई भी पहूँच मार्ग नहीं है। ग्राम गुराडिया तहसील पिडावा के खसरा नक्शा व नजरी नक्शे के अवलोकन से साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि पर पहूँच हेतु कोई भी रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

Scanned with OKEN Scanner

(ii) <u>वैकल्पिक रास्ता नहीं होना</u> – अभिभाषक प्रार्थीगण का कथन है कि उसकी आराजी पर पहूँच हेतु कोई भी वैकल्पिक प्रचलित रास्ता उपलब्ध नहीं है जबकि अभिभाषक अप्रार्थी सं. 1 का कथन है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु सनातनी वैकल्पक रास्ता मौजूद है और प्रार्थीगण वर्षो से इसका उपयोग करते आ रहे है लेकिन उक्त वैकल्पिक मार्ग के लम्बा होने से प्रार्थीगण सुविधा के लिए अप्रार्थी की भूमि में होकर सुविधाजनक रास्ता लेना चाहते है। अप्रार्थीगण ने वैकल्पिक रास्ता कहां से होकर है और किन खसरा नम्बरान से होकर आता है, इसका अंकन नहीं किया है। तहसीलदार पिडावा द्वारा अपने जवाब दिनांक 08.02.2023 में पहूँच हेतु कोई रिकार्डेड एवं वैकल्पिक रास्ता नहीं होना बताया है। **अतः साबित है कि प्रार्थीगण की भूमि तक पहूँच हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है।**

(iii) <u>रास्ते की अति आवश्यकता होना</u>– उपरोक्त बिन्दू सं. 1 व 2 के विवेचन एवं विश्लेषण से यह साबित है कि प्रार्थीगण की आराजी तक पहूँच हेतु ना तो कोई राजस्व रिकार्ड में दर्ज रास्ता है और ना ही कोई वैकल्पिक रास्ता वर्तमान में उपलब्ध है। यह भी सही है कि प्रत्येक काश्तकार को अपने खेत में फसल काश्त हेतु आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रास्ते की आवश्यकता होती है। रास्ते के अभाव में या किसी व्यक्ति द्वारा रास्ते को अवरूद्ध कर दिये जाने से आराजी के पडत रहने से काश्तकार के लिए भरण पोषण का प्रश्न उत्पन्न हो सकता है और इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए विधायिका द्वारा एक्ट में धारा 251 ए जोडी गई है। तहसीलदार द्वारा बहस के दौरान कथन किया गया कि आवेदित रास्ते के अलावा और कोई विकल्प नहीं होने से प्रार्थी को रास्ता दिया जाना अति आवश्यक है। किसी व्यक्ति/खातेदार के पास वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध होने पर भी नये रास्ते की मांग करने को ही सुविधा के लिए रास्ता मांगना माना जावेगा। अतः साबित होता है कि प्रार्थीगण को अपने खेत पर आने जाने व कृषि उपकरण ले जाने के लिए रिकार्डेड रास्ते की आवश्यकता है। **अप्रार्थीगण की भूमि** की दक्षिण मेड [illegible] रास्ता दिये जाने पर **सरोनिया से गुराडिया सडक के** सहारे से पूर्व से चले आ रहे बरसाती पानी **की निकासी अवरूद्ध होगी जिससे** अप्रार्थीगण की फसल खराब होने की

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज.)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Scanned with OKEN Scanner

संभावना रहेगी। अतः प्रार्थीगण को मुख्य सडक के सहारे बरसाती पानी की निकासी हेतु पाईप लगाकर उचित व्यवस्था करनी होगी।

(iv) लघुतम रास्ता होनाः— पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड, खसरा नक्शा के अवलोकन एवं पैरोकार सरकार तहसीलदार पिडावा द्वारा पेश मौका रिपोर्ट दिनांक दिनांक 08.02.2023 एवं दिनांक 18.10.2024 से जाहिर है कि लघुत्तम रास्ता ख.नं. 23 की दक्षिण मेड के सहारे होते हुए प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. 912/42 तक होगा जिसकी लम्बाई तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख.नं. 23 में 198 फीट होगी जो अप्रार्थीगण की कब्जाकाश्त भूमि प्रार्थीगण के रास्ते के उपयोग में आएगी। प्रार्थीगण द्वारा 12 फीट चौडा रास्ते का अनुतोष चाहा है जबकि कृषि उपकरण लाने व ले जाने के लिए 10 फीट चौडा रास्ता ही पर्याप्त होता है।

(v) डी0एल0सी0 की दुगनी दरों से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतानः—प्रार्थीगण अपनी आराजी ख.नं. 912/42 व 43 तक पहुंच हेतु अप्रार्थीगण की ख.नं. 23 की आने वाली 198 X 10 = 1980 वर्ग फीट भूमि का डीएलसी की दुगनी दर से भुगतान करने हेतु सहमत है। अतः रास्ते के उपयोग में आने वाली अप्रार्थी सं. 1 की ख.नं. 23 की 1980 वर्ग फीट की क्षतिपूर्ति हेतु ख. नं. 23 के खातेदार अप्रार्थी सं. 1 को रास्ते की भूमि 1980 वर्ग फीट अर्थात 184 वर्ग मीटर का डीएलसी की दुगुनी दर क्षतिपूर्ति राशि दिया जाना उचित होगा।

9. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण तथा तहसीलदार पिडावा की मौका रिपोर्ट व नजरी नक्शा दिनांक 08.02.2023 के अनुसार ग्राम गुराडिया तहसील पिडावा की प्रार्थीगण की भूमि ख.नं. ख.नं. 912/42 व 43 तक पहूँच हेतु नया रास्ते के संबंध में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आर.टी.एक्ट. सीमेंट के पाईप द्वारा बरसाती पानी की निकासी की उचित व्यवस्था करने की शर्त पर न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

—::क्रियात्मक आदेश ::—

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) आर.टी.एक्ट. स्वीकार किया जाता है। ग्राम गुराडिया तहसील पिडावा की अप्रार्थी सं. 1 के ख.नं. 23 की दक्षिण मेड के

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा जिला झालावाड़ (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

सहारे से रास्ते की भूमि रकबा 1980 वर्ग फीट अर्थात 184 वर्ग मीटर की भूमि की नवीनतम डीएलसी की दुगुनी दरो से क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान अप्रार्थी सं. 1 को किये जाने एवं गुराडिया से सरोनिया मुख्य सडक के सहारे प्रार्थीगण द्वारा बरसाती पानी की निकासी हेतु सीमेंट के पाईप से पर्याप्त व्यवस्था किये जाने पर नवीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। रास्ते के खसरा का प्रथम नम्बर दिया जाकर रास्ते का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजनार्थ किया जावेगा। तहसीलदार पिडावा उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 28.07.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

28/07/25

(दिनेश कुमार मीणा, आरएएस)
उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा
जिला झालावाड़ राज0

उपखण्ड अधिकारी
पिड़ावा, जिला झालावाड़ (राज०)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिड़ावा जिला झालावाड़

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Kumar Meena
Date: 2025.07.31 18:06:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner